पंजीकृत संख्या यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसैन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2009 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1931 शक सम्वत्) [संख्या–21

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	183–184	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	203–208	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्थायी शासन विभाग का क्रोड पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

15 मई, 2009 ई0

संख्या 959/XV–1/7(14)/09–भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सख्या–29/नई दिल्ली/शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2009 के तहत पशुरोग नियंत्रण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–53–95/2008–एल0डी0टी0 (एल0एच0), दिनांक 31–10–2008, जो कि अश्ववंशीय पशुओं में इक्वाईन इन्फ्लूएन्जा रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के क्रम में है, के क्रम में मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार के आदेशानुसार राज्य में अश्ववंशीय पशुओं का अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन निरुद्ध किया जाता है। इक्वाईन इन्फ्लूएन्जा रोगग्रस्त क्षेत्रों एवं रुद्रप्रयाग जनपद अन्तर्गत अश्ववंशीय पशु मेले, घुड़दौड़, अश्व प्रदर्शनियां, खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियां निरुद्ध की जाती हैं। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक प्रभावी होगा।

आज्ञा से,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

May 15, 2009

No. 959/XV-1/7(14)/09--As per provision of the Prevention of Control of Animal Disease Act, 2009 vide Government of India Gazette Notification No. 29/New Delhi, Friday, March 20, 2009 and as per guidelines issued by The Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, Governemnt of India for the control and containment of Equine Influenza vide its Letter No. 53-95/2008-LDT (LH), dated 31.10.2008, the Governor of Uttarakhand hereby orders to restrict inter State and inter district movement of horses, mules, donkeys and other animals belonging to equine species and prohibit the holding of fairs, races, exhibitions, games and gathering of equines in any specified area anywhere in the State for the control and containment of Equine Influenza disease which has been reported from Rudraprayag district. This notification shall be in force from the date of issue to 30 September, 2009.

By Order,

G.B. OLI,
Joint Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 हिन्दी गजट/243–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या-यू0ए0 / डी0जी0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009-11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2009 ई0 (ज्येष्ठ 02, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 23, 2009

No. 72/UHC/Admin. A/2009--Sri Srikant Pandey, 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun in the vacant Court.

May 05, 2009

No. 74/UHC/Admin. A/2009--Sri B.S. Dugtal, Judge Family Court, Nainital (Additional Charge Addl. District & Sessions Judge/1st F.T.C. Nainital) is posted as Additional Director, Uttarakhand Judicial And Legal Academy, Bhowali, Distt. Nainital, in addition to his present duties vice Sri Ravindra Maithani.

By Order of Hon'ble the Chief Justice

Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General

May 07, 2009

No. 75/VIII-A-1/Stat./UHC/2008--Pursuant to the Government Notification No. 304/XXXI(13)G/05-37(1)/2005, dated 04.05.2009 issued under U/S 25 of Negotiable Instrument Act-1881 (Act No. 26 of 1881), May 13, 2009 (Wednesday) is hereby declared holiday in the High Court of Uttarakhand on account of General Election to the Lok Sabha in Uttarakhand.

May 07, 2009

No. 76/VIII-b-1/Stat./UHC/2008--Pursuant to the Government Notification No. 304/XXXI(13)G/05-37(1)/2005, dated 04.05.2009 issued under U/S 25 of Negotiable Instrument Act, 1881 (Act No. 26 of 1881), May 13, 2009 (Wednesday), is hereby declared holiday for the Subordinate Courts on account of General Election to the Lok Sabha in Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
I/c Registrar General.

May 14, 2009

No. 77/UHC/XIV/54/Admin. A--Sri Prem Singh Khurmal, Addl. District Judge, Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 13.04.2009 to 22.04.2009.

May 14, 2009

No. 78/XIV/16/Admin. A--Sri Vijay Kumar Vishwakarma, 2nd Judicial Magistrate, Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 06 days *w.e.f.* 15.04.2009 to 20.04.2009 with permission to prefix 11.04.2009 & 12.04.2009 as 2nd Saturday and Sunday holidays, 13.04.2009 as local holiday and 14.04.2009 as Ambedkar Jayanti holiday.

May 15, 2009

No. 79/UHC/XIV/57/Admin. A--Sri Ajay Chaudhary, Chief Judicial Magistrate, Chamoli, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 13.04.2009 to 02.05.2009 with permission to prefix 11.04.2009 and 12.04.2009 as 2nd Saturday and Sunday holidays and to suffix 03.05.2009 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

OFFICE OF THE UTTARAKHAND JUDICIAL AND LEGAL ACADEMY, BHOWALI, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Taking Over Charge)

May 05, 2009

No. 341/UJALA/2009--Certified that the charge of the office of the Addl. Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital is transferred under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* its notification no. 74/UHC/Admin. A/2009, dated May 05, 2009 as herein denoted in the afternoon of May 05, 2009.

Relieving Officer

B. S. Dugtal.

Countersigned
Illegible.
Director,
Uttarakhand Judicial and Legal Academy,
Bhowali, Distt. Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing Over Charge)

May 05, 2009

No. 331/UJALA/2009--CERTIFIED that the office of the Additional Director, Uttarakhand Judicial And Legal Academy, Bhowali, Distt. Nainital (holding additional charge) is transferred under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital *vide* its Notification No. 74/UHC/Admin.A/2009, dated 05.05.2009, as herein denoted in the afternoon of 05.05.2009.

Relieved Officer

RAVINDRA MAITHANI,

Countersigned
Illegible,
Director
Uttarakhand Judicial and Legal Academy
Bhowali, Distt. Nainital

CHARGE CERTIFICATE

March 31/April 01, 2009

No. 1114/Admin.(A)-UHC/2009--CERTIFIED that the office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand at Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notification No. 51/UHC/Admin.A/2009, dated March 28, 2009 as herein denoted in the afternoon of 31st March, 2009.

V. K. MAHESHWARI,
Relieved Officer.

RAVINDRA MAITHANI,
Relieving Officer.

Countersigned
Illegible
PRADEEP PANT,
Registrar (Judicial).

कार्यालय, आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड

(स्थापना अनुभाग)

आदेश

30 मार्च, 2009 ई०

पत्रांक 4732/आयु०क०उत्तरा०/स्था०अनु०/2008–09/देहरादून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 3 के उपनियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विज्ञप्ति संख्या 4502/आयु०क०उत्तरा०/वाणि०कर/स्था०अनु०/दिनांक 18–03–2009 में संशोधन किया जाना आवश्यक होने के कारण आंशिक संशोधन करते हुए डिप्टी कमिश्नर (क०नि०), ऋषिकेश के अधिकार क्षेत्र में असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–1, खण्ड–2 एवं खण्ड–3, ऋषिकेश को अवधारित किया जाता है।

उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 01–04–2009 से प्रभावी होगी।

वी०के० सक्सेना,
प्रभारी आयुक्त, कर,
उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति

30 अप्रैल, 2009 ई०

पत्रांक 372/आयु०क०उत्तरा०/फार्म–अनु०/09–10/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून– केन्द्रीय विक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री कुशलावा इन्टरनेशनल लि०, रुद्रपुर	फार्म–'सी'–06 (छः)	UK-VAT–C-2007-585256 to 585257, UA VAT-D(T)-2006-012745 to 012746, UA VAT/C-2005-056080 to 056081

एल०एम० पन्त,
आयुक्त, कर,
उत्तराखण्ड।

11 मई, 2009 ई०

पत्रांक 506/आयु०क०उत्तरा०/फार्म–अनु०/2009–10/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री डिपेन ड्रग्स, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–05	UK-VAT–A 2007-23008, 23019, 23023, 23060, 23077
2.	सर्वश्री खण्डेलवाल एसोसियेट्स, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	UK-VAT–A 2007 0033126

वी०के० सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

05 मई, 2009 ई०

पत्रांक संख्या 478/चार–28(2008)–उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग बैच–2007) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनांक 3 नवम्बर, 2008 से 6 दिसम्बर, 2008 की अवधि

में छठे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गयी विभागीय परीक्षा भाग–1 व भाग–2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्रम संख्या	नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी	विषय									
1.	डा० वी० शणमुगम	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	डा० आर० राजेश कुमार	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3.	श्री दीपक रावत	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

विषय संकेत :–

A-अपराधिक वाद निर्णय लेखन

B-राजस्व वाद निर्णय लेखन

C-राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा भू–सर्वेक्षण

D-हिन्दी टिप्पणी एवं पत्र लेखन

E-जिला प्रशासन

F-लोक प्रशासन

G-बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया

H-स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम

I-नियोजन एवं विकास

J-कृषि एवं ग्राम्य विकास

यू० डी० चौबे,
अपर निदेशक।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन चौबटिया, रानीखेत (अल्मोड़ा)

आदेश

02 अप्रैल, 2009 ई०

पत्रांक 07/शीतगृह/09–10–उत्तराखण्ड कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अधीन लाईसेंस अधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तत्काल प्रभाव से उप निदेशक (खा0प्र0) मुख्यालय, उद्यान भवन चौबटिया, रानीखेत को सशक्त करता हूं। इससे पूर्व इस आशय के निर्गत आदेशों को एतद्द्वारा संशोधित समझा जाय।

डा० वी०पी० नौटियाल,
निदेशक,
लाईसेंस अधिकारी,
शीतगृह (उत्तराखण्ड),
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (उत्तराखण्ड),
उद्यान भवन चौबटिया।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संभाग, देहरादून

आदेश

18 अप्रैल, 2009 ई०

पत्रांक 91/प्रशासन/लाईसेन्स/2008–09–श्री मनोज कुमार पुत्र श्री एस० एस० नेगी, थानो, देहरादून द्वारा यात्री वाहन में क्षमता से 06 सवारियां अधिक ले जाने तथा लापरवाही एवं असुरक्षित तरीके से, वाहन चलाने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा उनके लाईसेंस संख्या 11032/डी/05 जो कि इस कार्यालय द्वारा

मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहनयान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 01–08–2011 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ए० के० सिंह, सभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस को दिनांक 18–04–2009 से दिनांक 17–07–2009 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

30 अप्रैल, 2009 ई०

पत्रांक 0136/प्रशासन/लाईसेन्स/2009–श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मदन लाल, निवासी–202/12, बसन्त विहार, देहरादून द्वारा यात्री वाहन में क्षमता से 05 सवारियां अधिक ले जाने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा उनके लाईसेंस संख्या 30711/डीडी/99 जो कि हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 25–05–2011 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ए० के० सिंह, सभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाईसेंस को दिनांक 30–04–2009 से दिनांक 29–08–2009 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

30 अप्रैल, 2009 ई०

पत्रांक 0137/प्रशासन/लाईसेन्स/2009–श्री ईरशाद गाजी पुत्र श्री शम्बुदीन गाजी, निवासी–01 हाथीबड़कला, देहरादून द्वारा पर्वतीय मार्गों पर भार वाहन में निर्धारित क्षमता से 10 अधिक यात्री ले जाने के कारण सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा उनके लाईसेंस संख्या 29881/डी/99 जो कि मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है तथा दिनांक 25–10–2011 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक को नोटिस संख्या–2759, दिनांक 06–02–09 जारी किया गया। लाईसेंसधारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें लाईसेंसधारक कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये।

अतः लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ए० के० सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस को दिनांक 30–04–2009 से दिनांक 29–06–2009 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूं।

कार्यालयादेश

30 अप्रैल, 2009 ई०

पत्रांक 0138/प्रशासन/लाईसेन्स निरस्त/2009–श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोलू, निवासी–12, लालावाला, देहरादून द्वारा शराब पीकर पर्वतीय मार्ग पर तीव्र गति से वाहन चलाने, अन्य वाहन चालकों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने एवं यातायात बाधित करने के कारण उपजिलाधिकारी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपरोक्त चालक के लाईसेंस संख्या–10214/डी/2004, जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया है, के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी थी। इस सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या–7078/लाईसेंस/निरस्तीकरण–नोटिस/06, दिनांक 12 जनवरी, 2006 जारी किया गया। लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में आज सुना गया। सुनवाई के उपरान्त वह कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाये। चालक द्वारा शराब पीकर तेजगति से वाहन का संचालन कर आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डाला गया है व अन्य चालकों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया है जो कि जो अत्यन्त गंभीर अनियमितता है।

अतः लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, ए० के० सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा (1) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या 10214/डीडी/2004 को निरस्त करता हूं।

ए० के० सिंह,
लाईसेंसिंग अधिकारी/
सभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 हिन्दी गजट/243–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।